राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 155/2022

राजेन्द्र पुत्र हजारीलाल पौत्र भोलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोल्याली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थी

ब–ना–म

1. पप्पू पुत्र स्व. मन्शाराम
2. महेन्द्र पुत्र स्व. मन्शाराम
3. मुकेश पुत्र स्व. मन्शाराम
4. विद्या देवी पत्नी स्व. मन्शाराम
5. महावीर पुत्र चतरू
6. रघुवीर पुत्र चतरू
7. रतिराम पुत्र चतरू
8. गजानन्द पुत्र मामराज
9. कमला देवी पत्नी स्व. मूलचन्द
10. जयराम पुत्र धन्सी
11. दीपचन्द पुत्र मूलचन्द
12. नानूराम पुत्र भरताराम
13. परसाराम पुत्र मामराज
14. फूलचनद पुत्र भरताराम
15. मक्खनराम पुत्र मामराज
16. माडुराम पुत्र भरताराम
17. राजू पुत्र शंकरलाल
18. सुगनी पत्नी धन्सी
19. सत्यनारायण पुत्र मामराज
20. सूरजपाल पुत्र मूलचन्द
21. सरवणी देवी पत्नी मामराज – **फौत**
22. सुवाराम पुत्र मामराज
    1 लगायत 22 समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोल्याली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
23. सरोज कुमारी पुत्री मूलचन्द पत्नी रमेश जाति गुर्जर हाल निवासी डुमोली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
24. मन्जू कुमारी पुत्री मूलचन्द पत्नी सुरेश जाति गुर्जर [illegible] निवासी डुमोली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
25. रोशनी पुत्री चतरू पती यादराम जाति [illegible] तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
26. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाई जरिये शाखा प्रबंधक शाखा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

27. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक शाखा खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

......,अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने रास्ता

अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय :: दिनांक 28–10–2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम कोल्याली तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या नया 87 में दर्ज खसरा नंबर 372 रकबा 0.03 है., ख.नं. 373 रकबा 1.24 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 है. की भूमि में प्रार्थी का स्व. दादा भोलाराम पुत्र खींवाराम हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खातेदार भोलाराम पुत्र खींवाराम के फौत होने के बाद प्रार्थी का पिता हजारीलाल उक्त सम्पूर्ण आराजियात पर काबिज रहा तथा प्रार्थी के पिता हजारीलाल के फौत होने के बाद से वर्तमान में प्रार्थी मौके पर भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है तथा उक्त आराजियात में ही अपने मकान बनाकर आबाद है। ग्राम कोल्याली स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या नया 108 में दर्ज खसरा नंबर 1925/360 रकबा 0.02 है., ख.नं. 1964/419 रकबा 0.10 है., ख.नं. 350 रकबा 1.20 है., ख.नं. 351 रकबा 0.09 है., ख.नं. 353 रकबा 0.26 है., ख.नं. 360 रकबा 0.10 है., ख.नं. 361 रकबा 0.13 है., ख.नं. 366 रकबा 0.91 है., ख.नं. 369 रकबा 0.40 है., ख.नं. 449 रकबा 0.04 है., ख.नं. 450 रकबा 1.64 है., ख.नं. 451 रकबा 0.32 है., ख.नं. 459 रकबा 1.55 है., ख.नं. 460 रकबा 0.55 है. कुल किता 14 कुल रकबा 7.31 है. भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 25 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर भूमि का आपसी भाई बंटवारा कर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। उक्त वर्णित भूमि में खातेदार मन्शाराम पुत्र भरताराम फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिशान अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 है तथा खातेदार झिमकोरी देवी पत्नी चतरू फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिशान अप्रार्थीगण सं. 5 लगा. 7 व अप्रार्थी सं. 25 पहले से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के खेत ग्राम कोल्याली स्थित खसरा नंबर 373 रकबा 1.24 है. भूमि में जाने के लिए बबाई से बड़ाऊ जाने वाली मुख्य सड़क से पश्चिमी दिशा में फटकर ग्राम माधोगढ़ जाने वाली सीमेन्टेड सड़क से उत्तरी दिशा में फटकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 25 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 366 रकबा 0.91 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे फिर आगे पश्चिम की तरफ घुमकर खसरा नंबर 366 रकबा 0.91 है. की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 373 रकबा 1.24 है. तक जाने के लिए 12 फुट चौड़ा रास्ता चालू है, उसी रास्ते से होकर प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है और इधर से ही प्रार्थी अपने खेत में साधन लाता व ले जाता है इसके अलावा प्रार्थी के पास अपने खेत खसरा नंबर 373 रकबा 1.24 है. में साधन लाने ले जाने व आने जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध [illegible] हाजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी का यह रास्ता [illegible] प्रार्थी के आवागमन के रास्ते के रूप में व साधन लाने ले जाने [illegible] उक्त रास्ता ही प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 373 [illegible] पहुचने के लिए मौजूद है जो सबसे छोटा व बबाई से बड़ाऊ जाने वाली मुख्य सड़[illegible] से पश्चिमी दिशा में फटकर ग्राम माधोगढ़ जाने वाली सीमेन्टेड सड़क से सबसे कम दूरी का है। इसके अलावा प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:12 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

के पास अपने खेत में आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अनुसार प्रतिकर देने के लिए या भूमि के बदले भूमि देने का निवेदन किया तो भी उक्त अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 25 इंकार हो गये जबकि उक्त रास्ता प्रार्थी के कदीम से ही विद्यमान रहा है और यहीं से ही उपयुक्त रास्ता संभव है जो सबसे छोटा व बबाई से बड़ाऊ जाने वाली मुख्य सड़क से पश्चिमी दिशा में फटकर ग्राम माधोगढ़ जाने वाली सीमेन्टेड सड़क से सबसे कम दूरी का है, इसलिए यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ और प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत ग्राम कोल्याली स्थित खसरा नंबर 373 रकबा 1.24 है. में जाने के लिए बबाई से बड़ाऊ जाने वाली मुख्य सड़क से पश्चिमी दिशा में फटकर ग्राम माधोगढ़ जाने वाली सीमेन्टेड सड़क से उत्तरी दिशा में फटकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 25 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 366 रकबा 0.91 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे फिर आगे पश्चिम की तरफ घुमकर खसरा नंबर 366 रकबा 0.91 है. की उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 373 रकबा 1.24 है. तक 12 फुट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर उस रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे तथा उक्त रास्ते के लिए धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। .अप्रार्थी सं. 1, 5 लगायत 7, 10 लगायत 14 व 17 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत ग्राम कोल्याली स्थित खसरा नंबर 373 रकबा 1.24 है. भूमि में जाने के लिए अप्रार्थीगण/उत्तरदातागण की भूमि ख.नं. 366 में से कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा ना ही प्रार्थी अपने खेत में कभी इधर से आता जाता है व ना ही कोई साधन लाता ले जाता है। बल्कि प्रार्थी हमेशा अपने खेत ख. नं. 373 में आम सड़क बबाई से रसूलपुर जाने वाली के पश्चिम दिशा में स्थित ख.नं. 370 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे आता जाता रहा है तथा प्रार्थी के खेत में आने जाने का सबसे लघुतम रास्ता है। प्रार्थी अप्रार्थीगण से रंजिश रखता है जो उत्तरदातागण को बर्बाद करना चाहता है व उनको भूमिहीन बनाना चाहता है इसलिये उसने अप्रार्थीगण की भूमि में से गलत रूप से अपना रास्ता बताकर रास्ता लेना चाहता है। ख.नं. 370 के खातेदार और ख.नं. 373 का खातेदार पूर्व में संयुक्त खातेदार रहे है इसलिये प्रार्थी अपने पूर्व संयुक्त खातेदारों से रास्ते की मांग कर सकता है। अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ते की मांग नहीं कर सकता। अप्रार्थीगण ने पूर्व में भी आमजन के लिये सहयोग करके अपनी पुश्तैनी भूमि ख.नं. 366 में से लिंक रोड़ ढाणी परमाकाली से माधोगढ़ बनाने के लिये खेत के बीचो बीच से फ्री कोस्ट पर जमीन दी है जिसका नुकसान अप्रार्थीगण झेल चुके हैं। इसलिये अप्रार्थीगण की उक्त भूमि में से अब दूसरा रास्ता और देने से अप्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। ख.नं. 366 में से बार–बार रास्ता काटने का मतलब है अप्रार्थीगण को भूमिहीन करना। पटवारी हल्का कालोटा ने प्रार्थी से मिलकर गलत रिपोर्ट बनाकर पेश की है। पटवारी हल्क[illegible]गण की भूमि में से जो रास्ता बताया है उस रास्ते में अप्रार्थीगण [illegible] बना हुआ है। पटवारी हल्का मौके पर जांच करने नहीं गया बल्कि प्रार्थी से मिल[illegible] व उसके प्रभाव में आकर पटवार घर में बैठक अपनी रिपोर्ट तैयार की है तथा रिपोर्ट पर जिन गवाहों के हस्ताक्षर है वे प्रार्थी के चहेते है। पटवारी हल्का के बताये अनुसार यदि अप्रार्थीगण की भूमि में से

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण की बोरिंग नष्ट हो जायेगी जिससे अप्रार्थीगण को पानी पीने तक की नोबत आ जायेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण सं. 2 से 4, 9, 15, 16 व 18 से 27 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं. 28 तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/340 दिनांक 16.06.2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि :–

1. राजस्व ग्राम कोल्याली के भूमि ख.नं. 373 रकबा 1.24 है. प्रार्थी के दादा भोलाराम पुत्र खीपाराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जहां प्रार्थी पक्के मकान बनाकर स्थायी रहवास कर रहा है। प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है।
2. प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा ना ही प्रार्थी द्वारा सुविधाजनक उपयोग के लिए रास्ता चाहा गया है। पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।
3. प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में सी से डी तक लाल स्याही में दर्शित किया गया है। ए से बी मौके पर पुख्ता सीमेन्टेड सड़क है जो नक्शे के कटान में दर्ज नहीं है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम/लघुतम है तथा वर्तमान में रास्ते पर अप्रार्थीगणों द्वारा पत्थर डालकर अवरोध पैदा कर दिया है।
4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 30X5= 150 वर्गमीटर है जिसकी डी. एल.सी. 13180/–रूपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से जिसकी दुगुनी राशि रू. 26360/– बनती है।

तहसीलदार, खेतड़ी ने उक्त पत्र के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बबाई की मौका रिपोर्ट संलग्न कर पेश की है जो शामिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थीगण पप्पू आदि ने पटवारी हल्का कालोटा द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट को निरस्त फरमाया जाकर किसी निष्पक्ष गिरदावर से मौके की रिपोर्ट मंगवाई जावे।

उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। तथा तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 16.06.2022 का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट प्रकरण में विचारणीय बिन्दुओं पर आधारित होने से अप्रार्थीगण पप्पू आदि का आपत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बबाई का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.06.2022 के संलग्न नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बबाई में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता [illegible] के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को खसरा नंबर 373 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 366 में प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर (0.0150 है0) बनता है। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य रास्ते में निर्वापित भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर सहमति बन गई है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

नं. 373 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोल्याली तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 373 रकबा 1.24 है. में जाने के लिए अप्रार्थीगण सं. 1 से 25 की संयुक्त खातेदारी भूमि ख.नं. 366 रकबा 0.91 है. में ग्राम माधोगढ़ जाने वाली सीमेन्टेड सड़क से उत्तरी दिशा में खसरा नंबर 366 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे फिर आगे पश्चिम की तरफ घुमकर 12 फुट चौड़ाई में ख.नं. 373 तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि देने पर सहमति हुई है, इसलिए भूमि ख.नं. 366 में से 150 वर्गमीटर (0.0150 है.) जो रास्ते में निर्वापित हुई है उसके बदले में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 373 की दक्षिणी दिशा के साथ–साथ जो भूमि ख.नं. 366 के उत्तरी दिशा के सहारे लगती हुई है में 150 वर्गमीटर भूमि (0.0150 है.) प्रार्थी के ख.नं. 373 में से कम की जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 से 25 की संयुक्त खातेदारी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 366 के रकबे में से रास्ते की बाबत 150 वर्गमीटर (0.0150 है.) भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:12 IST
Reason: SelfAttested